संख्या-106/868/84-1-13-01 भवन(बजट)/2012

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 29 अक्टूबर,2014

विषय- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की चौथी व पॉचवी पीठ के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2466/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./के0स0-1/08 दिनॉक 08 सितम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अतिरिक्त दो पीठो के भवन निर्माण हेतु शासनादेश सं0-1078/84-1-13-01भवन(बजट)/2012 दिनांक 03-07-2013 द्वारा रू0 390.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (एक करोड रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश में निहित शर्त के अनुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि व्यय होने की स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्रावधानित अवशेष धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में रू0 2,90,84,000.00 (दो करोड नब्बे लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि निर्माण कार्य दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण कराकर निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को निगम द्वारा हस्तगत कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाएगा

2- शासनादेश दिनॉक 03 जुलाई, 2011 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-04-राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनॉक 22-7-2014 में प्राप्त निर्देशों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 106/868(1)/84-1-13-तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
8- उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2/खाद्य तथा रसद अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in